

SHRI DINKER DESAI (Kanara) : When will the Keskar Committee report come up ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is in the Order Paper. It will come in a day or two. It is put down on the agenda for this week. I will now put the motion, with the names as changed by the Minister.

The question is :

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939 made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 13th February, 1968, and communicated to this House on the 14th February, 1968, and resolves that the following thirty members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely : Shri Sayed Ahmed Aga, Shri Bhakt Darshan, Shri Ram Dhani Das, Shri Tulsidas Dasappa, Shri D. N. Deb, Shri Kanwar Lal Gupta, Shri B. D. Deshmukh, Shri Ishaq Sambhali, Shri Liladhar Kotoki, Shri Vikram Chand Mohajan, Shri Bhola Nath Master, Shri Mohammad Ismail, Shri Mohan Swarup Shri Danyabhai Parmar, Shri Pashabbhai Patel, Shri Jatindra Nath Pramanik, Shri K. Rajaram, Shri Chitta Ranjan Ray, Shrimati Sushila Rohatga, Shri S. K. Sambandhan, Shri V. Sambasivam Shri Beni Shanker Snarma, Shri Diwan Chand Sharma, Shri Devendra Vijay Singh, Shri Prakash Vir Shastri, Shri Arangil Sreedharan, Shri S. Supakar, Shri Kommareddi Suryanarayana, Shri Om Prakash Tyagi, Dr. V. K. R. V. Rao."

*The motion was adopted.*

15.42 hrs.

#### INSECTICIDES BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will take up further consideration of the Insecticides Bill. 1 hour and 5 minutes have already been taken up. Now, Mr. Desai.

SHRI DINKAR DESAI (Kanara) : Sir, I am not at all satisfied with this Bill, as it does not really go into all the aspects of the problem. We are only touching the fringe of the problem. I have carefully gone through the evidence given before the Joint Committee of the Parliament. One Dr. Pradhan, an expert from the Indian Agricultural Research Institute has said that this Bill not only does not go far enough, but does not touch the fringe of the problem. He has strongly recommended that we must have a comprehensive Bill on the lines of the Miller's Bill of USA. Many progressive countries in the west have enacted legislation on the lines of the Miller's Bill. I would like to read some portions of Dr. Pradhan's evidence. He says that all the risks are not covered :

"What has been done is that practically the whole Bill deals with measures for checking mainly the misbranding of pesticide and the problems of hazards have been practically left out. No effort has been made to provide and spell out measures for checking hazards of various types and at various stages." Then he says :

"The agricultural view-points have been completely omitted and there is no evidence that the framers of the Bill even intend to make any specific provision for safeguarding the health of the consumers of the nation as a whole."

He has also made certain specific suggestions, namely, there should be provision for :

- (i) Detection of contamination in food and fodder.
- (ii) Prevention of sale/distribution of contaminated food and fodder.
- (iii) Detection of contamination in other articles of use like blanket etc.
- (iv) Regulation of use of pesticides in field and godowns and by ordinary merchants who find it tempting to mix insecticides with cereals, etc."

15.45 hrs.

[Shri Thirumala Rao in the Chair]

I would like to know why the expert opinion of the Agricultural Research Insti-

tute were not accepted by the Government or the Joint Committee. It seems that our Government are fond of passing a number of Bills and increase the bulk of legislation. But we find that very few Bills are comprehensive and many of the Bills are so defective that no useful purpose would be served by their enactment.

I have carefully gone through the report of the Joint Committee. They have not said anything about the evidence by the experts and they have not accepted most of the important suggestions made by the experts. I would like to know what is the use of calling experts before parliamentary committees when their valuable expert opinions are brushed aside and the original Bill, as drafted by the Government with a few modifications here and there which are of no consequence, is brought before the House with the request that we may pass that Bill. This should not continue. That is why I am not in favour of this Bill at all, in the light of the opinion given by the expert, especially when the opinion given by the expert has not been rebutted by the Committee at any stage. In fact, the proceedings make it clear that the Chairman of the Committee and some members appreciated the evidence given by the expert. Yet, the matter ends there. This is not the way to enact legislation.

I am sure that this legislation will not be of any value at all and the real risks to which our population is exposed will not vanish. That is why I hope, even at this stage, that the Minister will not press for the consideration of this Bill but will bring before this House a comprehensive Bill in the light of the suggestions made by the expert so that we can have an enactment which will cover all the reasonable risks to our population and our cattle wealth also.

The practice of bringing a large number of Bills from time to time without proper study, without proper thinking is of no use. It will only add to the administrative cost without any return; it will be a waste of money with no risks covered. It is a fundamental principle that when we have a new legislation it must be comprehensive and it must be really useful, because we are spending a lot of money on the implementation of every legislation. In that light I feel that this Insecticides Bill is not a proper type of Bill. We must have

a Bill on the lines of Miller's Bill of the United States, which has been copied not only in England but in many other countries also. Since we are dealing with a new problem, let us start on a clean slate, covering all hazards. I have nothing more to add.

I would like the Minister to explain why the expert opinion was ignored. If he can convince us, that is a different matter. But, without convincing us, if he asks us to pass this legislation, then, in my opinion that is highly objectionable.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon): It is not the futility of this Bill, or the ineffectiveness of this Bill that I am anxious about. I am really anxious that this Bill must not be utilized to curb or destroy the effectiveness of the insecticides which may be produced in this country. It is a fact that I do not know any of the capitalists or industrialists who manufacture the insecticides. But, a few months ago it so happened that a friend of mine brought with him an executive of a company dealing with insecticides with German collaboration. When that German expert came to my house he gave me a copy of the memorandum which has been circulated to all Members of Parliament, the memorandum from the Indian Pesticides Manufacturer's Association. It expresses all sorts of fears about this Bill. After a long talk with him I learnt that there is only one man in India who is technically competent to be an inspector of pesticides.

In the absence of competent people to judge whether the pesticide that is manufactured and its packing—all sorts of restrictions are there—is effective or not, it will kill the industry. I am not worried about the killing of the industry as much as it should make pesticides effective. As it is, pesticides which are produced and supplied to farmers have become useless. Pests have become immune to pesticides. If we use some pesticide one year, the next year we find that the same pests are thriving under that. There are so many examples which I can quote. So, if we want to maintain and improve our agricultural production, certainly we must have effective pesticides.

The pesticides now produced in the

[Shri N. Sreekantan Nair]

country, beginning with DDT and going on to ever so many varieties, are all very good on paper. But I had an experience last year of a pesticide which, I was told, was not available anywhere. I was experimenting on the IARI's new wonder seed. In my anxiety I took the car and went 48 miles to Cochin, because it was not available in small quantities, to procure one quintal of certain granule which was supposed to be very good for the blast disease. It produced no effect at all because the toxic content of the pesticide was not effective. When this was the explanation given to me, I asked whether they would be satisfied if I put in an amendment to the effect that the toxicity of a pesticide will be the quantum of the poisonous substance in the pesticide. I was told that I might.

I wrote a letter to the hon. Deputy Minister, Shri B. S. Murthy, explaining this to him because I know that it is very futile for an Opposition Member, specially a Member like me, to bring in an amendment and get the Government to accept it. I asked him to study this problem because it is a very important question for our country and for our agriculture. He wrote to me saying that all these things had been considered. Of course, he was very friendly because we are old colleagues for the last 15 years. He wrote to me that it could not be considered.

This raises the question that the bureaucrats in the administration will stifle the industry. They will make it impossible for manufacturers to produce insecticides which are effective and that, in turn, will kill our agriculture. If that is going to be the effect of this Bill, I can only say that it is better that we do not have this Bill than have such a Bill which would stifle our agriculture.

Our country is already in difficulty and I would once again request the hon. Minister to consider this. The most important question is, what is toxicity. It has not been defined and that is the basic content of this. Toxicity is not defined and they are not prepared to define it. How can the appellate authority decide unless and until a specific definition of toxicity is there? In no Act of the Government of India, ever enacted, has this been clearly

defined. In his reply he has said that because it was not there in the earlier Act which was more important, it has not been defined now. What does a technical term without definition mean? It means nothing. It allows any executive officer, any bureaucrat, to take any interpretation and catch hold of the producer and stifle the industry. Therefore, I would request, through you, the hon. Minister to find out some method of making our insecticides effective. I am not worried about the difficulties of the producers and manufacturers, but the toxic content must be there and it must be effective and our agriculture must be protected.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat) : Mr. Chairman, Sir, the Bill proposes to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or animals. However, on all these aspects the Government has callously disregarded all considerations for a human being.

With regard to the policy of manufacture of insecticide, the Government has only served the cause of big business instead of supplying insecticides at cheap rates to the people. Take, for instance, the working of the Hindustan Insecticides Ltd., a public sector undertaking. This plant is started only to add to the profit of DCM chemicals at the cost of public exchequer. Delhi unit of Hindustan Insecticides obtained chlorine from DCM chemicals at Rs. 378.40 per tonne while the same product is sold at Bombay for Rs. 100 per tonne. Thus, a clear cut donation of Rs. 278 per tonne of chlorine is given to DCM chemicals which is just adjacent to Hindustan Insecticides. The entire plant of Hindustan Insecticides is so arranged is to benefit DCM chemicals. Even the supply of chlorine is made through a pipe-line from DCM chemicals.

Who prevented the HIL from manufacturing chlorine on its own? The Minister of Petroleum and Chemicals in reply to a question admitted that the works Manager of Delhi unit suggested in April, 1964 the installation of a caustic soda plant to meet the chlorine requirements. Four years have passed since then but nothing has been done so far,

The Fourth Report of Committee on public Undertakings has noted, "It appears from the reply that the idea of setting up a caustic soda plant of 20 tonnes per day capacity which would have met the present and future requirements of chlorine of the Delhi unit of HIL was not examined.

It is not clear that some officials of Hindustan Insecticides have deliberately sabotaged the plan to favour the DCM chemicals LTD? It is not surprising that the officials of Hindustan Insecticides who were advocating self-reliance were compelled to leave their jobs. About 87 per cent of DDT manufactured in Hindustan Insecticides is purchased by the Government at a higher cost and the real beneficiary is the DCM chemicals Ltd. I demand a thorough prob into this swindling of serving the interest of big business at the cost of public exchequer.

A survey conducted by Delhi authorities has revealed that since the waste material of Hindustan Insecticides is discharged in Jamuna river, DDT was found in the blood of many persons in Delhi. When a question was raised by us in Parliament, the hon. Minister gave the reply that the quantity of DDT in blood was not high. Is this an approach of a serious government I want to know? The Health authorities suggested that the present plant should be shifted to far away place but this is also not done by the Government. This affluent of the factory is a serious threat to human beings. If serious steps are not taken in time, these insecticides will kill more human beings than insects!

The Government has not made sufficient attempt to popularise the precautionary measures against the use of insecticides. It is even difficult to get these precautionary measures in all the regional languages. Unless these measures are made known to all the persons using insecticides, it will lead to serious consequences. The Government will try to do propaganda in Hindi alone.

The cases of food poisoning in the country are going up for want to proper use of insecticides to preserve food grains. The inspecting machinery is faulty and in the absence of any stringent punishment, the officials do not conduct a proper check up. The net result is that

insecticides are becoming homicides. Though the Government has provided some machinery of supervision, etc., the policy of the Government is making a mockery of all the provisions made in the Bill. Therefore, I would like to suggest a complete reversal in the policy of production and sale of insecticide if we are really serious of serving the public interests.

श्री श्रीकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदय, इस इंसेक्टिसाइड्स बिल को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि जो यह इंसेक्टिसाइड्स के आयात आदि पर रोक लगाई जा रही है और जो उसमें एक कंट्रोल की स्थिति आ रही है उससे वह कांग्रेस का पुराना भाई भतीजावाद चलेगा, इसको लेकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार चलेगा। उनके जो बच्चे आदि होंगे उनको कोई दुकानदारी आदि मिल जायगी। इस बिल द्वारा जो इसके आयात के ऊपर कंट्रोल लगाने जा रहे हैं वह किसानों के लिए अहितकर ही सिद्ध होने वाला है। अभी उधर हमारे मास्टर शिव नारायण बड़बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद उनको इसमें दुकान का कोई ठेका ही मिल जाय। जिस तरह से चीनी सीमेंट आदि पर कंट्रोल किया और परिणामस्वरूप ब्लैक बढ़ता गया उसी तरह से मैं समझता हूँ कि इसके आयात आदि पर रोक लगाने से भी इस में ब्लैक बढ़ता चला जायगा और यह जो किसानों को सुविधा के साथ दवा मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं मिलेगी। यह सारे कीटनाशी पदार्थ ब्लैक में चले जायेंगे और जाहिर है कि इनके ब्लैक में चले जाने से किसान उन को ले नहीं सकेंगे और अगर लेंगे भी तो उसके लिए उनको 3, 4 या 6 गुना पैसा देकर लाना पड़ेगा।

हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हवाई जहाज के द्वारा दवाई छिड़क दी गई, लेकिन कहीं गिरी और कहीं नहीं गिरी और किसानों के पास चार-चार और पांच-पांच रुपये बीघा के हिसाब से बिल बनाकर भेज दिये गये। दवा छिड़कने के सिलसिले में किसानों को यह भी

[श्री श्रीकारलाल बेरवा]

नहीं बतलाया गया कि इतने दिन तक इसको किसी जानवर को काट कर मत खिलाना। क्या हुआ कि जब ज्वार थोड़ी-थोड़ी घ्रा गई, दो-तीन फीट की हो गई तब उसको किसानों ने जानवरों को खिला दिया। किसान की श्रादत होती है कि थोड़ा-सा चारा हमेशा जानवरों के आगे डाल देते हैं। जब जानवरों को उसको काटकर खिलाया तो कितने ही जानवर मर गये, कितने ही मूर्च्छित होकर गिर गये। इसी तरह से जब हमारे यहाँ छोटा-छोटा चना खाता है तब उसको ऊपर से तोड़ने के लिए गरीब श्रादमी जाते हैं क्योंकि चना तोड़ने से श्राद ज्यादा होता है। वह उसको तोड़कर ले गये श्राद खाते ही कितने विचारे बेहोश हो गये श्राद एक-दो तो मर ही गये। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि दवा छिड़कने के बाद किसानों को यह बता दिया जाय कि पन्द्रह दिन के अन्दर कोई भी उसमें से काटकर जानवर के आगे न डाले। सरसों का साग नहीं तोड़ना चाहिए, ग्वार का साग नहीं तोड़ना चाहिये।

16.00 hrs.

यह दवा बहुत जरूरी होती है क्योंकि कम से कम 30 या 40 परसेंट खेती बिगड़ जाया करती है। फिर एक-दो किस्म के कीड़े नहीं होते हैं। उनकी करीब 100 किस्में होती हैं। कोई कीड़ा ऊपर लगता है कोई नीचे लगता है। गेरूँ की जड़ में कीड़ा लगा श्राद ऊपर जाकर गेरूँ सूख गया। एक कीड़ा ऐसा होता है जो कि चने में लगा। चने का फूल आया हुआ होता है उसको कीड़ा खा जाता है श्राद एक ही दाना सूखकर रह जाता है। इसी तरह से सरसों वगैरह में अलग-अलग तरह के कीड़े लगते हैं। अलग-अलग तरह की कीड़े अलग-अलग खेतों में होते हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो दवाओं में मिलावट की जाँच होनी चाहिए, दूसरे इसके आयात के ऊपर जो कंट्रोल लगाया

जा रहा है, वह बिल्कुल हटाया जाना चाहिये क्योंकि कंट्रोल लगे रहने से वह किसानों को ठीक से उपलब्ध नहीं हो सकेगा।

इस बिल में धारा 21 के अन्दर कहा गया है कि इन्स्पेक्टर को टेकनिकल हैंड नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो हमारे भाई-बन्द बँठे हुए हैं उनके जो रिश्तेदार कम पढ़े-लिखे हैं, घेरते-घेरते घ्रा गये हैं उनको इन्स्पेक्ट्री का नुस्खा मिल जायेगा, श्राद जब वह गाँवों में इन्स्पेक्ट्री का नुस्खा लेकर जायेंगे तो वह किसानों को क्या बतलायेंगे क्योंकि वह खुद ही नहीं जानते होंगे? पहले भी यहाँ बतलाया कि जो मन्त्री ये उनको यही पता नहीं था कि जो श्राद गेरूँ का पौदा कैसा होता है। इस तरह के इन्स्पेक्टर श्राद मन्त्री हो जायेंगे तो वह किसानों को बतला सकेंगे? यह जो इन्स्पेक्टर हैं उनको गाँवों में जाकर किसानों को बतलाना चाहिए कि इस तरह की जो दवा है उसको इस तरह से खेतों में छिड़कना चाहिए। जब तक यह लोग टेकनिकल हैंड नहीं होंगे तब तक वह किसानों को जाकर क्या समझायेंगे? इसलिए पहले उनको इस बात की शिक्षा दी जाये उसके बाद सर्विस में लाया जाये। वरना यह होगा कि भाई भतीजावाद चलेगा।

जहाँ तक लाइसेंस प्रणाली का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर किसी दुकानदार की दवा में मिलावट पाई जाय, या किसी तरह का ब्लैंक का घोटाला उसके यहाँ पाया जाय तो उसको जरूर 500 से लेकर 1000 रु० तक का जुर्माने की सजा दी जाये, उसका लाइसेंस ज्वल कर दिया जाये। लेकिन जो कानून आपने बनाया है वह किसानों के ऊपर बड़ा हब्बा बन कर बँठ जायेगा श्राद इन्स्पेक्टर की चाँदी हो जायेगी, सामने बैठने वाले श्राद ब्लैंक मार्केट वालों की चाँदी हो जायेगी। उनको ही दुकानें मिलने लग जायेंगी तथा जो दवा 100 रु० किलो बिकती है उसको वह 1,000 रु० किलों में बेचेंगे; जिसके लिए

किसानों के पास कोई साधन नहीं हैं और उन की फसल के बिगड़ने का साधन पैदा हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल पर विशेषज्ञों ने जो राय दी है उसको मानना चाहिए। इन्स्पेक्टर को टेकनिकल हैंड होना चाहिये और सरकार की दबा के आयात पर कंट्रोल करने की जो नीति है, उस पर जो रोक लगाई जा रही है कि कोई किसान दवा को मंगा कर खेत में छिड़क नहीं सकता, इसको तत्काल हटा देना चाहिये। अगर सरकार इसमें कोई शक समझती है कि इस दवा को हर कोई मंगवा कर ब्लैक मार्केट में बेचेगा तो उस पर कोई ऐसी पाबन्दी लगनी चाहिये जिसमें कि कोई उसका डाइरेक्ट वितरण न कर सके। इस

बिल को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यह रद्दी की टोकरी में फँकने के काबिल है। किसानों को इसको खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए।

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY (Hoshangabad): Before I begin to say anything about this Bill, I would like to refer to a point made by Shri N. Sreekantan Nair. He talked about toxicity. Toxicity is really a matter which has attained a specific meaning in the scientific world. Determination of toxicity cannot be done in a normal laboratory, nor can it be done by an ordinary scientist.

I will just read out from this book 'Scientific Aspects of Pest Control' to show how costly it is to determine toxicology:

	Cost (in dollars)
100 range finding studies at 400 dollars each	40,000
10-90 day studies at 5,500 dollars each species	55,000
2-Two year rat feeding studies at 50,000 dollars each	1,00,000
2-Two year dog feeding studies at 50,000 studies dollars each	1,00,000
Complete metabolism studies	50,000
Reproduction studies for three generations (Rats)	3,000
Cancer study on mice	1,800
Continued toxicological work during the first five years of marketing	1,19,300

So, for one complete study of toxicology, the total cost comes to about Rs. 4,69,100 dollars. I do not know how we shall get this done in our country. From what we are hearing about our scientific studies and scientists and the appointments of Committees, I would very humbly request the hon. Minister to consider as to whether this word "Toxity" cannot be replaced by some suitable word which we can really make proper use of.

At the moment I would only say this much.

श्री महाराज सिंह मारती (मेरठ): सभापति महोदय, बदलती हुई खेती की तकनीक में कीटनाशक दवायें यदि हों तो नये बीज और नई तरह की खेती ब्रेकार हो जाती है। एक व्याव-

हारिक किसान के नाते मैं यह साधकार कह सकता हूँ कि जितनी अच्छी फसल आप के यहां पैदा होगी उतनी ही ज्यादा बीमारियों का हमला उस फसल के उपर निश्चित रूप से होगा अगर हम पुराने तरह का गेहूँ पैदा करें तो बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन जो नया गेहूँ हमारे पास आया है मैक्सिको का सोनारा 64 और लरमा रोजो, उसमें लरमा रोजो मैं दो पार-साल ही बीमारी लग गई थी और इस साल सोनारा 64 में लगी है; जिसका भाव कम होने पर भी सरकार उस कम दाम पर को खरीदने में अपने को असमर्थ पा रही है। 20 प्रतिशत काला दाजा पैदा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि जो

[श्री महाराज सिंह भारती]

कीटनाशक दवायें उस पर चिड़की जानी चाहिये थी वह नहीं छिड़की जा सकीं।

ठीक इसी तरीकों से करोड़ों रुपयों का फल हर साल नष्ट हो जाता है। बाग का माली जानता है कि ऐसी बीमारी लगी हुई है जो फलों को खराब करने जा रही है। इसका इलाज कीटनाशक दवायें हैं। धीरे धीरे इस प्रचार होता जा रहा है। यदि हमको इस बेश में आत्म-निर्भर बनना है तो हमको आधुनिक ढंग की खेती करनी ही होगी। जितना ज्यादा उर्वरक हम इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज्यादा खाद और पानी का इस्तेमाल करेंगे जितनी ज्यादा फसल हम पैदा करेंगे, उतना ही ज्यादा बीमारी लगने का डर पैदा होगा। इस लिए उतने ही बड़े पैमाने पर हम को कीटनाशक दवाओं का उत्पादन भी करना होगा। इसमें कोई दो रायें हैं नहीं।

लेकिन कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के साथ साथ जब उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तब इस बिल में हम देखते हैं कि घास नाशक दवाओं के पैदा करने की भी जरूरत है, वीडो-साइड्स और दूसरी चीजें। इस पर मैं सहमत नहीं हो पाता कि आप को हबहू अमरीका की नकल करनी चाहिए, या रूस की हबहू कापी करनी चाहिए। उनकी और हमारी परिस्थितियों का अन्तर हमको समझना पड़ेगा। अमरीका और रूस में आदमी कम लगे हुए हैं, खेत ज्यादा हैं बोने के लिए। कौन घास निकालेगा, निराई करेगा या गोड़ाई करेगा? चूंकि उनके पास आदमी नहीं होते हैं इस लिए बड़े पैमाने पर दवायें छिड़क कर जिन्स को बचाते हुए बकी घास को मार दिया करते हैं। अपने यहां करोड़ों लोगों की जिव्दगी और रोजी इस बात पर चलती है कि वह किसान के खेत से घास निकाल कर लाते हैं और उसको जानवरों को खिला कर उनका दूध बेचते हैं। यदि हम केवल इस तरह की दवायें लगाते हैं जो केवल घास मारने के काम में आयेगी तो जहां करोड़ों

आदमी बेकार होंगे निकाई करने वाले, वहां करोड़ों गायां और मंसों को चारा नहीं मिलेगा तथा कल हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था दूसरी तरफ घूमती हुई नजर आयेगी। बड़े किसान बड़े आराम से खर पतवार को उन दवाओं के साथ नष्ट कर देगा। हमारी जो परिस्थितियां हैं उनमें हमको उस तरह की दवाइयों का उत्पादन और इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है। वे जिस तरह खर पतवार नष्ट करने की बात कर सकते हैं, उस तरह की बात हम नहीं कर सकते हैं।

कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन हमारे देश में बड़े पैमाने पर होना चाहिए। लेकिन हैरत होती है इसको देख कर कि ये दवाइयां कितनी महंगी हैं। सब से जरूरी दवाई जिसको एंटीन कहते हैं, जो कि बाग के लिए भी जरूरी है, दूसरी खेती के लिए भी जरूरी है उसकी एक बोतल सोलह रुपये में मिलती है। क्या किसी का पड़ता खा सकता है सोलहे रुपये में इसको खरीद कर और वह भी बाहर से मंगाई हुई बोतल। जितनी दवाइयों की किसान को जरूरत है कीड़े मारने के लिए चाहे वे सब्जी के कीड़े हों या बाग के हों या खेती के हों, वे सारी दवाइयां हम पैदा नहीं कर सकते हैं।

एक मामले में तो सरकार कमाल ही करती है। जब इनसे हिसाब लगवाया जाता है कि कितनी किसी चीज की जरूरत होगी तो पता नहीं कहां बैठ कर ये हिसाब लगाते हैं कि जितनी हम पैदा कर रहे हैं वह हमारी जरूरत के लिए काफी है। जरूरत होगी सो मन की सो कह दिया जायगा कि अगर बीस किलो पैदा कर दी जाए तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। फर्टिलाइजर की बात को ही आप लें। कहा गया कि दो मिलियन टन नाइट्रोजन पैदा हुई और देश आत्म-निर्भर हो गया। इनको यह भी पता नहीं है कि दो मिलियन टन नाइट्रोजन दस फीसदी खेती की भूमि के

लिए भी अपर्याप्त होगी उस अवस्था में अगर प्राधुनिक ढंग की खेती आप करवाना चाहते हैं तो यही बात कीटनाशक दवाइयों के सिलसिले में भी लागू होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने प्लांट आपने लगाये हैं, कितना उत्पादन आप इनका कर रहे हैं और चौथी योजना में आप क्या व्यवस्था इसके लिए करने जा रहे हैं। जितना उत्पादन आप कर रहे हैं वह केवल एक प्रतिशत किसानों के लिए ही पर्याप्त हो सकता है। एक प्रतिशत किसानों को ही दवाइयाँ देने लायक आप आज हैं। उस एक प्रतिशत किसान से आप देश की खेती की तरक्की करवाना चाहते हैं, तब तो ठीक है वना जो नतीजा है वह आपको मुनाई दे जाएगा। पिछले साल किसान ने लोरमा रोजू बीज लिया और इस साल सुनहरा 64 लिया। मैक्सिम वाला गेहूँ बोना वह छोड़ देगा। जब दवाइयाँ ही उपलब्ध नहीं होगी तो वह इसको बोयेगा ही क्यों। जो एक बातावरण बना है विज्ञान के जरिये से एक नई तकनीक के जरिये से, वह सारा उलट जाएगा। क्यों तब किसान पच्चीस रुपये किलो के भाव पर नया बीज खरीदेगा। बाद में जाकर किसान को आप मुफ्त भी उस बीज को दोगे तो वह नहीं बोयेगा। उसने बोया तो बीस मन था लेकिन निकला पंद्रह मन और दस मन काला दाना। सीधे तौर पर यह उत्पादन के साथ जुड़ी हुई चीज है। यह कह दिया जाता है कि हम प्रयोग करना चाहते हैं और अमरीका की तरह से करना चाहते हैं। लेकिन अमरीका की परिस्थितियों का और यहां की परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहां काटन एक जगह बोई होती है और उसके साथ ही दूसरी जगह कोई दूसरी चीज बोई होती है। हवाई जहाज मंगा लिए जाते हैं और दवाइयाँ छिड़क दी जाती हैं। अब आप देखिये कि अमरीका में या रूस में आपको लाखों एकड़ में एक ही चीज खेतों में बोई हुई दिखाई देगी, वहां एक भी गांव आपको दिखाई नहीं देगा नमूने के लिए भी, एक जगह आपको सरकार के बड़े फार्म

दिखाई देंगे और उसके साथ ही व्यक्तिगत लोगों के बड़े फार्म भी आपको दिखाई देंगे, गांव उनके यहां है ही नहीं, उनके यहां तो आप हवाई जहाजों के जरिये छिड़क सकते हैं किसी एक फसल पर कोई एक दवाई लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा लेकिन अपने यहां छोटे छोटे खेत हैं, अलग अलग तरह की चीजें बोई हुई आपको मिल जायेंगी, किसी एक फसल पर एक दवाई ठीक बैठेगी और किसी दूसरी पर वह ठीक नहीं बैठेगी। ऐसी अवस्था में कैसे आप अच्छे नतीजे निकलने की आशा कर सकते हैं। यहां पर डिडोरा पिटवा दिया जाता है कि कोई भाई एक सप्ताह तक अपने जानवरों को चारा न खिलाये। चारा नहीं खिलायेगा तो क्या करेगा? क्या जानवरों को उपवास करने के लिए मजबूर करेगा? उन मुल्कों की खेती का और अपने मुल्क की खेती का आप हिसाब नहीं लगाते हैं।

आप यह भी देखें कि रूस ने जितने अपने खेतों को काटने के लिये कम्बाइंड हार्वेस्टर बनाए हैं वे सब के सब भूसा तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ गेहूँ तैयार करते हैं और भूसे की जगह वे हे तैयार करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है जानवरों को खिलाने के लिए। लेकिन अपने यहां जालंधर और लुधियाना में कारीगरों को आविष्कार करना पड़ा है ऐसी मशीनों का जो कहीं भी दुनियां में उपलब्ध नहीं हैं जो भूसा तैयार कर सकें क्योंकि हमारे यहां जानवरों को खिलाने के लिए भूसे की भी जरूरत है। हमारी सरकार जो ग्रॉस मूंद कर नकल करना चाहती है अमरीका की या रूस की, उसे सिवाय इसके कि मुल्क को नुकसान हो, और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

अब मैं दवाइयों के वितरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिना दवाइयों को छिड़कने की मशीनों का प्रबन्ध किये, इन दवाइयों का क्या फायदा होगा? राज्य सरकारें पहले दवाइयों पर अनुदान दिया करती थीं लेकिन अब अनुदान नहीं देती हैं, सिर्फ मुफ्त

### [श्री महाराज सिंह भारती]

छिड़कने की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है बाकी प्रान्तों की बात मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ भी ऐसा ही होगा। खेती में तो समय पर हर बात होनी चाहिये। खेती बनिये की दूकान की तरह से नहीं है कि पूरा साल सौदा बेचते चले जाओ। खेती में तो ताल घाता है। उस ताल पर बो दिया तो बो दिया नहीं तो रह गए। ताल घाता है जब कि फसल को काटा जाता है और फसल को काट लिया तो काट लिया नहीं तो वह खेत में ही भड़ जायगी। बीमारी लगने का भी वक्त होता है और दवाई छिड़कने का भी वक्त होता है। अगर उस वक्त पर दवाई न छिड़की जाए तो कोई फायदा नहीं होता है। अब हमें देखना है कि दवाइयाँ छिड़कने की व्यवस्था करने की हम में कितनी क्षमता है। जितनी मशीनें हम लोगों ने जिलों के हैडक्वार्टर्स पर रखी हुई हैं और उनमें जो क्षमता है, वह किसानों की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती है। जो बहुत बड़े किसान हैं, नेता टाइप हैं, डरा सकते हैं या रिश्तत दे सकते हैं और जिनकी तादाद एक परसेंट से भी कम है सिर्फ वही इनका इस्तेमाल करें तब तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाकी भावमी भी दवाइयाँ खरीद कर ले जायें तो आपको सोचना होगा कि वे इनको छिड़केंगे कैसे। उसके पास संप्रेशर तो होना चाहिये। उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आप दवाइयों का बड़े पैमाने पर वितरण करना चाहते हैं तो उनको छिड़कने का भी तो आप प्रबन्ध करें। हवाई जहाज वाली बात तो यहाँ चल नहीं सकती है। चाहे आप पैर का पम्प उसको दे दें, चाहे कमर पर बांधने वाले संप्रेशर का इंतजाम आप उसके लिए कर दें या जो ट्रैक्टर की पुली के जरिये घूमता है, उसका प्रबन्ध कर दें लेकिन बड़े पैमाने पर दवाइयाँ छिड़कने के यंत्रों का प्रबन्ध भी तो उतना ही जरूरी है जितना इन दवाइयों का उत्पादन और इनका वितरण जरूरी है।

हम लोगों ने एक प्रयोग किया कि धान के गहरे खेतों में मछलियों को पाला जाये। ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं ये मछली नाशक भी हैं। जो भी चीज इसको खा लेगी वही मर जायेगी। जो अच्छे किसान हैं वे तो गोदड़ मारने के लिए भी एड्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मक्का के खेतों में बहुत गोदड़ होते हैं। अब वे क्या करते हैं। थोड़ा सा गोश्त लेते हैं और दो चार बूँद एड्रिन की छिड़क देते हैं और जो गोदड़ इस गोश्त को खा लेता है वह सुबह को चित्त मिलता है। यह तो एक जहर है। मछलियाँ खा लेंगी तो वे बच नहीं सकती हैं। अब अगर धान के खेतों में मछलियों को बचाना है तो धान गया और धान को बचाना है तो मछलियाँ गई। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आखिर सरकार ने धान में मछलियाँ पालने की स्कीम को बन्द कर दिया। लेकिन तालाबों के अन्दर तो मछलियाँ हैं। वहाँ तो वह पानी जाता है जो धान के खेतों में छिड़का जाएगा। अगर वह तालाबों के अन्दर जाएगा तो क्या मछलियाँ नष्ट नहीं हो जाएंगी। अब आपने उसकी क्या व्यवस्था की है, क्या रोक-थाम की है, यह भी आपको देखना होगा। बाकायदा इसके बचाव की भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इन खेतों का पानी तालाबों में न आ सके और इन तालाबों में मछलियों को पाला जा सके। सब ध्यान हमको रखना पड़ेगा।

दो तरह की पराकाष्ठायें हैं, जिनसे बचना हमको पड़ेगा। एक तरफ वे लोग हैं जो समाज के अन्दर किसानों के पिछड़ेपन का लाभ उठा कर या किसी तरह भी समझ लीजिए, सस्ते नारे लगा कर किसानों को बहका दिया करते हैं कि हमारे बाप दादा गुजर गए हैं खेती करते और ये जो कांग्रेसी हैं या कम्युनिस्ट हैं या जनसंघी है ये ऐसे ही बोलते हैं, इन लीडरों की बात में क्या रखा है और ये लोग उनकी जानकारी का नाजायज लाभ उठा कर भाषु-

निक तकनीक के प्रसार को रोकना चाहते हैं। एक तरफ तो ये शक्तियाँ हैं। दूसरी तरफ वे शक्तियाँ हैं जो बिना हिसाब किताब लगाये काम करती हैं और जिसमें सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं। जिनको पता नहीं होता है कि असलियत क्या है और जिनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाता है और वे समझ लेते हैं कि हम तो मास्टर बन गए और उनकी राय को जब किसान मान लेता है तो खुदा ही खैर करे उसकी। मैं एक मुक्तभोगी हूँ। मैं आप को अपनी आपबीती सुनाता हूँ। मुझे एक हाटिकलचर के इंस्पेक्टर ने बता दिया कि आप अपने बेरी के पेड़ का तकड़ा प्रूनिंग कर डालो और काट डालो पेड़ की टहनियों को, इससे नई शाखाएँ बहुत ज्यादा निकलेंगी और बेर ज्यादा निकलेंगे। भला हो मेरे चाचा का जिसने कहा कि एक ही पेड़ पर प्रयोग करो, ये सरकारी अफसरों की बताई हुई बात है, एक पर कर लो, काफी है। एक पर मैंने प्रयोग किया। कोपलें तो बड़ी लम्बी-लम्बी आई लेकिन बेर नमूने के लिए भी नहीं लगा। बाद में पता लगाया तो पता चला कि तकड़ा प्रूनिंग नहीं हल्का प्रूनिंग होना चाहिये था वरना जिस शरीर में घाव हो जाए तो पूरे शरीर का रक्त घाव को भरने के लिए जिस तरह से दौड़ता है उसी तरह से ज्यादा काट दिया तो पूरे पेड़ की शक्ति फल पर नहीं उसके प्रसार पर लगती है और वह बेकार हो जाती है। हम जो फटिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एकांगी इस्तेमाल हो जाता है। यही कीटनाशक दवाइयों का हाल है। जितने प्रतिशत उसमें पानी मिलाना चाहिये उतने प्रतिशत पानी नहीं मिलाया जाता है और उसके बजह से हिसाब ठीक नहीं बैठता है। ज्यादा पानी मिला दिया तो दवाई असर नहीं करेगी, कम पानी मिला दिया तो वह जहरीली हो जाएगी, अगर आदमी ने उस दवाई का इस्तेमाल करके हाथ को ठीक से नहीं धोया तो उसकी तन्दुस्ती सराब हो जाएगी। पचासों तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। एक तरफ वे

शक्तियाँ हैं जो चाहती हैं कि किसान के धनपढ़ होने का, उसके रूढ़ीवादी होने का पूरा पूरा लाभ उठाया जाए, उसके सस्ते जब्बात को भड़का कर उसको इनसे विमुक्त किया जाए और दूसरी तरफ वे शक्तियाँ हैं जो उत्तेजना में आकर काम करती हैं और इस तरह के काम कर बैठती हैं कि उन दवाओं के बाद में गलत नतीजे निकलते हैं और इन दवाओं से बिदकने लगते हैं।

मैं आपको एक चपमदीद वाका सुनाना चाहता हूँ। यह तब का है जब मैं यू० पी० में एम०एल०सी० था। डी०डी०टी० का जो प्रयोग तब हुआ उसका क्या नतीजा निकला यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। वहाँ पर एक गांव है दल्युआ। हमारे उस गांव में मच्छर मारने के लिए डी डी टी छिड़कने वाले लोग गए। जो होल था वह शामद पतला नहीं बना हुआ था। डी डी टी की मात्रा अधिक उसमें से निकलती थी। डी डी टी गांव की दीवारों पर छिड़क दी गई। इतिफाक से तब बारिश हो गई हल्की सी। पूरी डी डी टी झुल कर तालाब में आ गई। तालाब की मछलियाँ मर गई। उन मछलियों को एक कुम्हार परिवार खा गया। इसके परिणाम स्वरूप छः मौतें उस घर के अन्दर हो गई। शव की परीक्षा कराई गई। कहा गया कि किसी ने डी०डी०टी० का जहर दिया है। हमने कहा कि बच्चे वहाँ से मछली उठा लाए होंगे और उन्होंने वह मछली खाई है।

इस बात को हंसी-मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। हमें पूरे देश को यह ज्ञान देना पड़ेगा कि उन दवाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाये। सरकार इस बारे में अपने अफसरों और कर्मचारियों को ब्रीफ करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेती है। अमरीका में तो इससे काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर इस बारे में पूरी तरह से समझाना पड़ेगा। ऐसा न करने का परिणाम यह होगा कि किसान ने जिस

[श्री महाराज सिंह भारती]

आधुनिक टेकनीक को अपना लिया है, हमारी गलती से वह कल उससे भागने लगेगा। खेती की जिस नई क्रान्ति को हमने जन्म दिया है, इस प्रकार वह असफल हो जायेगी और उसके दोषी हम और आप होंगे।

SHRI MUTHU GOUNDER (Tirupattur) : I think there is no need or justification for this Bill at all. As some hon. Members have already said, to prevent risk to human beings or animals, this Bill was introduced. But from experience we find that there is no danger by using these insecticides now. The ryots are now fully scientifically-minded and they know how to handle these insecticides.

SHRI RANGA (Srikakulam) : A number of them are dying.

SHRI MUTHU GOUNDER : Here and there once in three months we see a newspaper report of somebody having died, but we see reports daily in the papers that hundreds of people die by consumption of *arak*, the cottage product liquor.

On the other hand, these insecticides have become powerless. Five or six years ago, if folidol was sprayed on a field, within hours one could see frogs, snakes and other reptiles and insects dying. But if we spray it in the morning now, in the evening we see flies mating on the leaves of plants and aking *kushi*. It means that these insecticides have ceased to have any harmful effect.

By introducing these licences and the system of inspectors, we will be introducing only greed and corruption.

SHRI RANGA : Some more money, some more jobs.

SHRI MUTHU GOUNDER : So there is no need for such a Bill with elaborate clauses.

Fertilisers are now quite necessary. We have to produce more and more of fertilisers. For greater production, we have to depend on high-yielding varieties and in parallel we have to add the input of fertilisers. High input of fertilisers means inviting more diseases. Folidol or some of

those Bayer's products were very effective five years ago, but now they have become effectless, because the flies and other insects have become immune to these, as an hon. Member said.

On the other hand, we are facing a danger to our crops from another source which we have to combat. This is from rats, rodents and monkeys. About 20 per cent of production of foodgrains is eaten away by these so-called small animals. Instead of coming forward with such a Bill, we may have to come with a Bill to encourage the killing of monkeys.

There was a farmer in my village who was owning fifty acres of land. It was all fertile land. Unfortunately for him, he was a Brahmin and he did not want to shoot the monkeys. Hundreds of them used to play in his coconut groves and the poor man had to sell that land for a nominal amount. I was lucky. I am a self-respecter and I always take pride in killing monkeys. I purchased that land. I shot down those monkeys. They are giving a good yield now. Government should give a sum of Rs. 8 or so for the tail of each monkey. It was done like that in some municipalities. At least we can export monkeys to America and earn dollars. Some of our panchayats trap these monkeys and at a huge cost transport them to forests. But these monkeys are clever and they return. Similarly, about rats also. In our place—I should not feel shy to say this—my own people used to eat rats. It is a very delicious food. Whatever food contains nutritious value should, even according to former Ministers, be eaten. Let it be anything. We are not religious based. Let it be an ox or a rat. If it contains enough vitamins, we can eat them. We find that the rats contain very good vitamins, proteins and everything. If any hon. Member is interested, he can come to my farm; my farm boys will take their torch lights in the night and each will get not less than ten rats—they are field rats, different from house rats. With the addition of a small amount of foodgrains such as ragi, they make very nourishing food for poor farmers like us. Instead of introducing all these Bills and having so many clauses and this and that....

AN HON. MEMBER : You do not need rice or wheat but only rats.

SHRI MUTHU GOUNDER : We want rice. Because we want rice, we want to remove the rats. We should not allow rats and monkeys and other birds to eat our foodgrains. We are told that we lose twenty per cent of our total production because of these creatures.

MR. CHAIRMAN : I warn the hon. Member to confine himself to insects and insecticides and not go after rats and monkeys. (Interruptions.)

SHRI MUTHU GOUNDER : Some kinds of insecticides are not available easily to the farmers. The farmers have a liking for certain fertilisers. Take for instance follidal, Paratheons, Kartheons, and this theon and that theon. Many theons have come into the market. They are ineffective. So, when they try some of these things, they find that they like some product in particular. Sometimes that produce is not available in the market and we have to buy it in the black market. I have been producing IR 8 and I have to use streptocyclin and IR8 every week alternatively as Taiching native invites blight and also spreads some diseases among our older varieties. IR8 also invites diseases because some of these are fungus diseases. These pesticides and insecticides do not have any effect on fungus diseases still. We have to find out some medicines for fighting the fungus diseases just like blights. Already we have got the Drug Control Order and the Pharmaceutical Control Order and so a small wing can be attached to those bodies to look after licensing. Pesticides and insecticides need not have a separate Board or a separate Controlling Board or a Controlling Committee, with so many officers. We are already tired of officers. Let us not bring in more officers and more corruption and more of this licensing system and more permits. We are already tired of them.

With these words, I close.

MR. CHAIRMAN : How long would the Minister like to have?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY

PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : 15 minutes.

MR. CHAIRMAN : I do not think there is enough time. It has to be completed by 5 O'clock. I can try to accommodate one or two Members. Many speakers have exhausted the subject, and so I would like the hon. Members to confine themselves to the point. I would like them to give a new light to the problem.

SHRI TULSHIDAS JADHAV : The subject may have been exhausted but the people are not exhausted.

श्री बेवराव पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, इस बिल का उद्देश्य कुछ और है लेकिन भाषण यहां पर कुछ और हो रहे हैं। मद्रास और केरल में फूड-प्वाइजनिंग से जो मृत्यु हो गई थी, उसके लिये एक कमेटी थी जे० सी० शाह की अध्यक्षता में मुकदरि की गई थी, उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह बिल तैयार किया गया है। इस बिल की वास्तव में इस देश में जरूरत थी, क्योंकि आज भी इस-किन्साइड्स के बहुत से केसेज इचर-उचर हुए हैं, जिनकी रोक-थाम बहुत जरूरी थी। जैसा मेरे बहुत से भाइयों ने यहां पर कहा कि आज की खेती पुरानी खेती नहीं रही है, आज हम ज्यादा उत्पादन करने के लिए ऐसी अनेकों दवाइयों को उपयोग में लाते हैं, इसलिए मन्त्री महोदय का इस तरफ ख्याल करना स्वाभाविक ही था।

इस बिल में मैंने यह देखा है कि किसानों के लिए जो कुछ प्रावोजन करना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। यह बिल पूं कि राज्य सभा से हो आकर आया है, इसलिए यह उम्मीद की जाती थी, कि इसमें कुछ सुधार हो जायेगा, लेकिन जो हम चाहते थे, वे सुधार इसमें नहीं हुए हैं। आज किसान जो दवाइयां अपनी क्राप्स पर डालता है, दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कारण अनेकों मृत्यु हुई हैं। हार्ड-ब्रिड ज्वार पर इसको प्रयोग करने के बाद, जब इसको जान-दरों ने खाया तो अनेकों जानवर मर गये। इन

[ श्री देवराव पाटिल ]

दवाइयों के सही स्टोरेज का कोई इन्तजाम नहीं है। ग्रामसेवकों के पास इन दवाइयों के रखने का कोई ठीक इन्तजाम नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि पूँ कि इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल से मृत्यु हो सकती है, इसलिए इनके रखने का इन्तजाम सरकार को खुद करना चाहिये। हाइब्रिड क्रीप पर इन दवाइयों के डालने का इन्तजाम भी सरकार को खुद करना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने मलेरिया की दवाइयों के बारे में इन्तजाम किया हुआ है, उसी तरह से देहातों में इन दवाइयों के स्टोरेज का इन्तजाम सरकार को स्वयं करना चाहिए।

जहाँ तक इस बिल में ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसमें किसानों को उस ट्रेनिंग से भ्रमलग रखा गया है। किसानों के लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वर्कर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। जहाँ फ़ैक्टरी में यह दवाई बनती है, वहाँ के वर्कर्स को भी ट्रेनिंग की सुभीता है, लेकिन किसानों के लिए ट्रेनिंग नहीं है। जो प्रावीजन्ड इस बिल में किये गये हैं, वे इस बिल के पास होने के बाद किसानों पर भी लागू हो जायेंगे, जिससे उनको काफी दिक्कत हो जायगी। इसलिए जो बातें मैंने कही हैं, यद्यपि वे इस बिल के स्कोप में नहीं आती हैं, फिर भी मन्त्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वे फ़ूड एण्ड एपी-कल्चर डिपार्टमेंट को इसके लिए लिखें तथा किसानों के लिए जो बातें मैंने सुभाई हैं, उनका इस बिल में प्रावीजन करें।

श्री तुलशीदास जाधव (शारामती) : सभापति महोदय, इंसिस्टेंसाइड्स के सम्बन्ध में यह बिल, जो राज्य सभा से पास होकर आया है, और जिस पर आज यहाँ चर्चा हो रही है, इसके अन्दर मैंने यह देखा है कि काश्तकारों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रखा है। न उनको किसी कमेटी पर रखा है, न किसी बोर्ड पर रखा है और न किसी सब-कमेटी में रखा है।

जो चीज आज काश्तकारों के लिये की जा रही है, उनका कोई नुमाइन्दा मुझे इसमें कहीं नखर नहीं आता है। इसलिये मेरी सबसे पहली राय यह है कि काश्तकार जो इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी वायस इसमें किसी न किसी रीति से भ्रवश्य होनी चाहिए। उनको कमेटीज में भ्रवश्य रखना चाहिए।

अभी जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वे दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद पानी में मिलती हैं, और वहाँ से वे फिर तालाब में जाती हैं और इस तरह से तालाब का पानी दूषित हो जाने के कारण उससे तालाब की मछलियाँ, जानवर तथा इन्सान मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मरने वाला है, जो उनको इस्तेमाल करने वाला है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था इसमें जरूर होनी चाहिए ताकि वे इन का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें...

श्री मधुनाई पटेल (डभोई) : मछलियों को भी उन कमेटियों पर रखें।

श्री तुलशीदास जाधव : मछली, जानवरों को छोड़ दीजिये, लेकिन इन्सान तो न मरे। हम इतनी कोशिश तो करें कि जिनके लिए यह सब काम चलता है, उनका रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी पर हो।

दूसरी बात—मैंने यह देखा है कि ये दवाइयाँ बक्त पर जितनी चाहियें, उतनी नहीं मिलती हैं, किसान को शहरों में जाकर इनको लाना पड़ता है, वहाँ भी कुछ मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती हैं। मेरी राय यह है कि जिस तरह से हम बीज सोसायटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सोसायटी के द्वारा हो, ताकि किसान को वहाँ से तुरन्त मिल जाय।

इसके बाद मैं इन दवाइयों की कीमत के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि खेती का काम भी एक

घन्वा है, यह एक इण्डस्ट्री है—ऐसा समझ कर हमको चलना चाहिये। जैसे टैक्सटाइल मिल या दूसरे घन्वे हैं, कारखाने हैं, वहाँ पर कच्चा माल देने के बाद पक्का माल तैयार होने तक पूरा एकाउन्ट रखा जाता है और उसके बाद सरकार को बताते हैं कि इतना लौस होमा या इतना फायदा होगा। लौस होता हो तो इण्डस्ट्री बन्द करते हैं, लेकिन सरकार उसको कभी नहीं मानती, क्योंकि उनकी इण्डीविजुअल लाइफ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिस तरह का परिवर्तन कि काश्तकार की लाइफ में नुकसान होने पर होता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि किसान को अगर इन दबाइयों की कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसका परिणाम यह होगा कि वह ज्यादा कीमत पर उन दबाइयों को नहीं ले सकेगा। मुझे दुख है कि सरकार इस दृष्टि से इस तरफ नहीं देखती है। मेरा बेसिक सवाल सरकार से यह है कि एग््रीकल्चर हमारे देश की एक बेसिक इण्डस्ट्री है, इस इण्डस्ट्री में काम करने वाले जो काश्तकार हैं—ऐसा समझ कर उनको तमाम सहुलियतों हमें पहुँचानी चाहिये और इसी दृष्टि से हमें उनके लिए इन इंसिफ्टिसाइड्स की ब्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे इनको खरीद सकें और इनका उपयोग कर सकें।

अभी जैसा मेरे सम्माननीय सदस्य श्री बेवराब पाटिल ने कहा कि इन दबाइयों के गिराने का काम सरकार के कर्मचारियों के द्वारा होना चाहिए। यह तो ठीक है, लेकिन जैसे एग््रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर होते हैं, पहले वे इस काम में खुद तो ट्रेन्ड हों, ज्ञानी हों, तब ही वे काश्तकार को कह सकेंगे और उसकी मदद कर सकेंगे। इसलिये मेरा कहना यह है कि एग््रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर या जो ग्रामसेवक हैं, पहले उनको इसके बारे में भरपूर ट्रेनिंग देनी चाहिए, तब ही वे काश्तकार को इसके बारे में बतला सकेंगे और उनकी ट्रेनिंग का इस्तफाम कर सकेंगे।

हाइड्रिड के बारे में महाराष्ट्र में काफी

नुकसान हुआ है। मेरी दृष्टि में महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ हाई ब्रिड के बारे में बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है और हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री वसन्त राव नायक ने इस को दिल में रखकर वहाँ पर खेती में बड़ी तरक्की करने का तय किया तथा इसके लिये बड़ी कोशिश की। उनकी कोशिश इस पर होती रही कि हाई-ब्रिड बीज ज्यादा से ज्यादा बनायें। मैंने देखा कि खिन लोगों को हाईब्रिड बीज बनाने के लिए दिया उनको समय पर दबाइयां न मिलने के कारण उनका नुकसान हुआ। उन्होंने बीज बहुत कीमत पर लिया लेकिन उत्पादन बहुत कम हुआ क्योंकि समय पर दबाइयां नहीं मिल सकीं। मेरी राय में तो जिन-जिन लोगों ने अपनी जमीन पर हाइब्रिड बीज का उत्पादन करने के लिए तय किया हो उनके पास तक इन चीजों को पहुँचाने का काम स्वयं ग्रामसेवक या एक्सटेन्शन आफिसर के द्वारा होना चाहिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि इस बिल का जो सेक्शन 23 है वह, कंट्रोल किस तरह से रखना है, इसके सम्बन्ध में है। लेकिन इसमें ऐसी अवस्था है कि जिनके मकान में या जिनकी जमीन पर फौटरी हो, उसको रेस्पॉसिबिल बनाया गया है—अगर कारखाने दारों की ओर से कोई बुराई की जाये तो उस मकान का या जमीन का जो धोनर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वह भार उसके ऊपर जबरन डाला गया है। जिस प्रकार से जहाँ पर प्रोही-बिशन होता है वहाँ पर यह मालूम होते हुए भी कि कहां पर भट्टी चलती है, लोगों को कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर वह कहते हैं तो उनको स्टैंड कर दिया जाता है और पुलिस भी कोई सहायता नहीं देती है। तो नजदीक के ग्रादमियों के ऊपर जो रेस्पॉसिबिलिटी रखी गई है, मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस क्या करती है। डिमोक्रेसी में यह ढंग ठीक नहीं मालूम होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी आप फौटरी वाले पर रखें।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): Sir, I am grateful to the various speakers who participated in this debate and who were good enough to make constructive suggestions regarding the Bill. All the speakers welcomed the Bill from the point of view of safeguarding human beings and animals which are useful.

श्री भोगेन्द्र भा (जयनगर): कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चन्द्रशेखर जी का नाम दिया गया था ।

MR. CHAIRMAN: I thought Shri Nayanar was the representative of the Communist Party. Anyhow, the Minister has already begun his speech and there is not much time left. So, he can take two or three minutes on the clauses.

SHRI B. S. MURTHY: All the speakers welcomed the Bill from the point of view of safeguarding human beings and animals which are useful to human beings from the risks involved in the manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides.

Let me now answer the important points raised by hon. Members and also clarify Government position with regard to the major amendments suggested by some of the hon. Members.

I wish to state that every assurance can be given to Shri P. K. Deo that the Joint Committee was keen about preserving wild life and it specifically changed the definition of "animals" to cover this aspect. The invisible effects of insecticides will certainly be looked after at the time of their registration under clause 9 (3) of the Bill. I fully share Shri Deo's anxiety about the possibility of water sources being polluted by spraying of insecticides. In this connection I may say that a separate Bill for prevention of water pollution is being processed by the Health Ministry.

Regarding Shri Singhi's point, the present provisions of the Bill do not require the toxicity of insecticides or their formulations to be mentioned on their labels. His amendment suggests that 'toxicity' should be substituted by 'content

of insecticides'. The toxicity of an insecticide is the sum total of its undesirable effects and it cannot be expressed or brought out by mentioning the quantity of the insecticide present. There may be variations in determinations of toxicity by different laboratories but the Registration Committee, which consists of experts, will no doubt pay due attention to this aspect. Besides, the Registration Committee's decisions are subject to review by Government. Should an appeal be received, Government would certainly examine all the points mentioned in the application.

Shri Brij Bhushan Lal expressed concern over the appointment of inspectors not possessing the requisite qualifications. I may point out that appointment of such inspectors has been provided for the limited purpose of entering and searching premises with a view to ensuring that the provisions of the Bill or the conditions of registration or licence are being complied with. The Joint Committee was fully convinced that this provision was necessary, particularly for enforcement of the provisions in the rural areas.

Shri Randhir Singh desired that there should be penalty for vexatious seizure by inspectors. In the Bill, as was first introduced in the Rajya Sabha, there was a clause providing for penalty for vexatious seizure. The Joint Committee examined this provision carefully and recommended that it should be deleted as it would act as a disincentive to inspectors. Of course, for improper conduct, inspectors can be punished under the disciplinary powers of the Government.

Shri Maharaj Singh Bharati raised the point that the use of weedicides would not only take away an avenue of employment for poor labourers but also result in destruction of weeds which are used as fodder for cattle. But I may state that the object of the present Bill is to prevent hazards to human and animal life consequent on the use of weedicides. Insecticides and weedicides are in use already and the economic aspects arising out of such use will be examined by the Ministry of Food and Agriculture if a reference is made to them.

Other speakers who participated in this debate have also contributed very constructively. Shri Bharati spoke twice

and today he made certain suggestions. I assure him that his suggestions will be looked into.

As to Shri Dinkar Desai's point, I would like to say that the Ministry of Food and Agriculture and their experts were consulted at all stages by the Joint Committee and their views were fully accommodated in the Bill.

16.49 hrs.

[*Mr. Speaker in the Chair*]

As far as Shri Nayanar is concerned, he raised a number of objections, but I would like to tell him that the object of the Bill does not cover price of insecticides. However, some of the insecticides like DDT, BHC which have been notified as 'drugs' under the Drugs and Cosmetics Act are covered by the Drugs Prices (Control and Display) Order. The prices of insecticides are subject to competitive forces in the market.

Regarding the second point, I say, the provisions of the Bill will control the activities of manufacturers to prevent contamination of water, surroundings etc. The Bill is comprehensive in all its aspects.

The hon. Member, Shri Onkar Lal Berwa, has said many things. He also said that Ministers and officers do not know what a field is, what a plough is and all those things. I may tell him that I am a labourer myself and even these days, I go to my fields whenever there is an opportunity. Therefore, nobody should monopolise that he knows everything and that others do not know anything. 45 Members of Parliament have constituted a Joint Select Committee and they have gone into it. Do you mean to say that none of them is interested in the cultivators, that everybody is coming from urban area and that nobody is coming from rural area? We must respect the views given by the Joint Select Committee which consists of 45 Members, 15 from Rajya Sabha and 30 from Lok Sabha.

As regards the other points, I may say that control over import is necessary not only for encouraging indigenous industry but also for quality control. The provisions of the Bill include control of adulteration and interests of farmers have been duly protected.

As regards Shri Sreekantan Nair's point, we have been colleagues and comrades for a number of years. He has been good enough to write me a very long letter, a very important letter, stating that "toxicity" must be defined. I have also sent him a reply. The term "toxicity" has not been defined in the Act. It is for the Registration Committee to examine the data submitted by firms who wish to register insecticides and permit their registration if "toxicity" is such that they could be used with safety. All aspects will be examined by the Registration Committee which consists of experts.

As regards Shri Biswas's point, I may say that when a new insecticide is developed, the manufacturing firms have to spend a lot of money to carry out the toxicological studies. The data will have to be submitted to the Registration Committee for it to examine whether an insecticide is safe or not for use. Otherwise, it will not be allowed. This type of screening is done in all advanced countries.

Then, to Shri D. S. Patil, I wish to say that his suggestions will have to be examined by the Ministry of Food and Agriculture.

As far as Shri Tulsidas Jadhav's points are concerned, he has made some useful suggestions and I assure him that they will be taken care of.

As far as the points raised by Shri Muthu Gounder are concerned, he has spoken about rats and monkeys also. He was very helpful to me because he introduced an element of humour so that the seriousness of the discussion will not descent upon me in all its seriousness.

Finally, I may tell the House that so far as the amendments are concerned, 38 amendments given notice of by the Members are concerned, more than one Member have suggested two or three amendments. The major amendment is that the term "toxicity", as applicable to insecticides, should be replaced by the content of an insecticide. I have already explained that this amendment would not convey the sense which the Bill is sought to give, namely the sum total of the adverse effects caused by an insecticide.

Another amendment seeks to give a

[Shri B. S. Murthy]

new meaning to the term "use" as applied to an insecticide.

Apparently the sponsors of this amendment feel that, if an insecticide were used as per the directions of the manufacturer and if in spite of...

श्री देबराज पाटिल : संशोधन हमारे सामने नहीं है। वह संशोधन मूव नहीं हुआ है जिसका कि उत्तर मंत्री जी दे रहे हैं।

MR. SPEAKER : It is now too late. Let him go ahead.

SHRI B. S. MURTHY : ...and if in spite of that certain untoward effects of the insecticides were noticed, no action should be taken. You will agree that this suggestion cannot be accepted. The reasons for the harmful effects of the insecticides must be investigated and if such effects are the result of the insecticide being formulated not in accordance with the conditions of the Registration or with the conditions of the licence, action must be taken.

More than one member has suggested that an appeal against non-registration or cancellation of registration of an insecticide should lie with the Central insecticides Board those decisions should be subject to review by the Central Government. The Joint Select Committee specifically desired that the Registration Committee which has executive functions should be made independent of the Board which is a technical body to advise Government and which has altogether different functions.

Again amendments have been suggested which seek to define what should be deemed to be the formula of an insecticidal formulation. The Registration Committee must know the full particulars about processing of a formulation, including the nature of the stabilisers, solvents, emulsifiers, etc., that are employed, as all of them may have a bearing on the toxicity of the insecticide or on the containers. The information supplied would certainly be kept confidential by the Registration Committee but no amendment which aims at withholding any relevant information from the Registration Committee, you will appreciate, Sir, can be accepted.

May I, in conclusion, say that the Bill was very carefully examined by the Joint Select Committee which had consulted all the interests affected by it and that the recommendations of the Joint Select Committee represent a splendid balance of the various views put forward before it.

I would, therefore, command to the House that the Bill, as passed by the Rajya Sabha, be considered and passed.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides with a view to prevent to risk to human beings or animals and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER : We can take up clause-by-clause consideration tomorrow.

---

16.59 hrs.

#### STATEMENT RE : LEVY OF CERTAIN EXCISE DUTIES

MR. SPEAKER : I think, the Deputy Prime Minister will now make a statement.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Shall I read it or shall I lay it on the Table of the House ? This is about 2½ pages.

MR. SPEAKER : He can lay it on the Table.

AN HON. MEMBER : What is it about ?

SHRI MORARJI DESAI : I have made some adjustments about embroidery taxation and some other taxation, which, I thought, I must first inform the House before giving it outside. Only yesterday it was made. I have described it there. It is some concession...

AN HON. MEMBER : On chocolates ?